



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22499

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3655/2026

विशंभर दयाल

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: केन सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. कुछ तर्कों के पश्चात, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया गया है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

विनोद।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"